

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मीरजापुर।

सेवा में,

प्रबन्धक,
शिवलोक त्रिनेत्र पब्लिक स्कूल कपसौर पडरी
मीरजापुर।

पत्रांक : मान्यता/ 15671-76 /2017-18

दिनांक 26-12-2017

विषय- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय,

आपके आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवतीपत्रचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मीरजापुर "शिवलोक त्रिनेत्र पब्लिक स्कूल कपसौर पडरी मीरजापुर" को दिनांक 26.12.2017 से दिनांक 25.12.2019 तक 03 वर्ष की अवधि के लिए अंग्रेजी माध्यम के नर्सरी से 8 तक के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान के करने के लिए संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्वधीन हैं-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 01 में (या यथा स्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालको की संख्या के न्यूनतम 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालको के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) की उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्वधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।
 - i. प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - ii. किसी भी बालक की शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्वधीन नहीं किया जायेगा।

- iii. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - iv. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - v. अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
 - vi. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती हैं परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएँ नहीं हैं पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएँ अर्जित करेंगे।
 - vii. अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है। और
 - viii. अध्यापक स्वयं किसी को निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
 8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय में मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार हैं—

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	—
कुल निर्मित क्षेत्र	—
क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल	—
कक्षाओं की संख्या	—
प्राध्यापक— सहकार्यालय— सह भण्डार के लिए कक्ष	—
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय— बालक/ बालिका	
पेयजल सुविधा हैं।	
मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई— 01 कक्ष	
बाधारहित पहुँच— हाँ	
अध्यापन पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपकरणों/पुस्तकाय की उपलब्धता —उपलब्ध	
 9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जायेगी।
 10. विद्यालय के भवनो या अन्य संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल और कौशल के विकास प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
 11. विद्यालय की सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी अवधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
 12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय आवंटित मान्यता कोड संख्यांक: E/NUPS/42/18 है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समूचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करके या विद्यालय के कार्य करण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जाए।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाय।
17. संलग्न उपाबन्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय

(प्रवीण कुमार तिवारी)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मीरजापुर।

पृ0सं0 मान्यता / 5 671-76 / उसी तिथि को।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0 लखनऊ।
2. सचिव उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद।
3. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) विन्ध्याचल मण्डल मीरजापुर।
4. जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्य/पिछड़ा वर्ग/जिला विकलांग अधिकारी मीरजापुर।
5. वरिष्ठ खण्ड शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय/नगर शिक्षा अधिकारी/संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी) मीरजापुर।
6. कार्यालय प्रति।

(प्रवीण कुमार तिवारी)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मीरजापुर।